

पत्रांक 10 / न 4-39 / 2017.....
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

प्रेषक,

लक्षण झा,
विशेष निदेशक, मा० शिक्षा।

सेवा में,

अध्यक्ष,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
शिक्षा केन्द्र, 2 कम्युनिटी सेंटर,
नई दिल्ली-110092

पटना, दिनांक 2017
विषय : Pratibha Public School, Mirchaibari, Katihar-854105 को अनापत्ति प्रमाण-पत्र
के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि Pratibha Public School Mirchaibari, Katihar-854105 को अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के संबंध में उक्त विद्यालय के प्राचार्य/सचिव/विद्यालय प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष किये गये शपथ पत्र के साथ संलग्न उक्त विद्यालय के अभिलेखों/कागजातों की रामीक्षा विभाग की सक्षम समिति द्वारा की गयी। तदनुसार विद्यालय की स्थिति निम्न प्रकार पाई गई :-

1. यह विद्यालय AB E & Social Enhancement Trust के अधीन संचालित है। इस ट्रस्ट में किसी एक व्यक्ति/परिवार का प्रभुत्व नहीं है। सोसाइटी के प्रत्येक सदरय का व्यौरा दिया गया है तथा शपथ पत्र भी दिया गया है।
2. विद्यालय प्रबंधक द्वारा किरी अन्य निवडित सोसाइटी/न्यारा के फ्रेन्चाईजी अथवा किसी विद्यालय के ब्रांड नेम उपयोग नहीं करने का दावा किया है।
3. विद्यालय को 02.05 एकड़ भूमि 30 वर्षों के लीज पर उपलब्ध है। विद्यालय में उपस्कर पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला उपलब्ध है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को स्थल निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करना होगा कि विद्यालय की आधारभूत संरचना एवं सुविधाएँ बोर्ड के मानक के अनुरूप हैं अथवा नहीं।
4. विद्यालय में शिक्षक की नियुक्ति समाचार पत्रों में घोषणा निकालकर विहित प्रक्रिया के द्वारा किया गया है। विद्यालय में 16 शिक्षक हैं। सी० वी० एस० ई०, नई दिल्ली को यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षकों की योग्यता प्रशिक्षण राज्यीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के मापदण्डों के अनुरूप है अथवा नहीं।
5. विद्यालय में हिन्दी अनियार्य रूप से पढ़ाये जाने का दावा किया गया है।
6. विद्यालय द्वारा निर्धारित, शुल्कों, वार्षिक भरका अंकेदार तथा वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिवर्ष सार्वजनिक करने का आश्वासन दिया गया है। विद्यालय अपने आश्वासन के अनुरूप कार्रवाई करे इसे सी० वी० एस० ई०, नई दिल्ली को सुनिश्चित करना होगा।
7. विद्यालय के द्वारा लिखित रूप से घहमति दी गयी है कि उसे यिभारीय अधिसूचना संख्या 238, दिनांक 04.04.2006 में उक्लेखित अप्रिक्त शर्त स्वीकार है।

[Signature]

Principal

[Signature]

Director

Pratibha Public School | Pratibha Public School
Court Compound, Mirchibari | Court Compound, Mirchibari
Katihar-854105 | Katihar-854105

[Signature]
ANJALI
PRINCIPAL / P.M.
ASSISTANT DIRECTOR
DAV Public Schools
Begusarai Zone-0

P.T.O
उपायुक्त / Deputy Commissioner
केन्द्रीय विद्यालय संगठन
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
धरोत्रीय कार्यालय / Regional Office
पटना-20 / PATNA-20

अपेक्षित शर्तों के अनुसार :-

- (i) विद्यालय में कुल क्षमता का 25 प्रतिशत नि:शुल्क नामांकन पड़ोस में नियास करने वाले परिवार के बच्चों का किया जायेगा तथा उनसे इयूशन शुल्क अथवा किसी अन्य प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा। ऐसे बच्चों की श्रेणी में अनुभूचित जाति, अनु० जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग वा लेकाएं तथा सामान्य श्रेणी के परिवार जिनकी आय प्रतिवर्ष ₹2.00,000/- (दो लाख रुपये पात्र) से कम होगा, को रखा गया है।
- (ii) विद्यालय में नर्सरी / के० जी० अथवा प्राथमिक कक्षा में नामांकन के लिए किसी तरह की प्रवेश परीक्षा / साक्षात्कार (बच्चों एवं माता / पिता सहित) नहीं, लिया जायेगा। अगर नामांकन के लिए आवेदन निर्धारित क्षमता से अधिक हो तो खुले तरीका से Draw of Lots के माध्यम से नामांकन के लिए बच्चों का घटन किया जायेगा।
- (iii) नर्सरी / के० जी० तथा प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रवेश लेने वाले बच्चों का विद्यालय से आवास की दूरी अधिकतम एक किलोमीटर एवं उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षा में नामांकन हेतु अधिकतम दूरी तीन किलोमीटर तक रहे हैं।
- (iv) जिन बच्चों का नामांकन नहीं होता है उनसे ली गई आवेदन शुल्क की राशि का 80 प्रतिशत राशि वापस लौटाने की व्यवस्था होगी।

8. यद्यपि कि विद्यालय का प्रबंधन द्वारा स्वीकृति अनिवार्य शर्तों को पूरा करने के संबंध में शापथ पत्र के माध्यम से दावा किया गया है, फिर भी सी० बी० एस० ई०, नई दिल्ली अपने स्तर से जाँच कर यह सुनिश्चित हो लें कि विद्यालय उनके द्वारा निर्धारित मापदण्ड के आधार पर संधालित है।

9. साथ ही बोर्ड को यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित विद्यालय के द्वारा अपनी सहमति के अनुसार अनिवार्य एवं अपेक्षित शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है। स्कूल को यह शर्त सार्वजनिक करनी होगी तथा इसका उल्लेख प्रोस्पेक्टस एवं वेबसाइट में करना होगा। शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा तथा सम्बद्धन रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी।

10. दिनांक-४६, दिनांक १८.०१.२००८ द्वारा शिक्षक / छात्रों ले ज्ञासीरिक दण्ड नहीं दिए जाने संबंधी आदेशों का विद्यालयों द्वारा पालन करना होगा।

11. विद्यालय बिहार सरकार के शिक्षा मिभाव अथवा स्थान्त्र्य मिभाव के नियंत्री पदाधिकारी के द्वारा निरोक्षण हेतु किसी भी समय खुला रहेगा।

उपर्युक्त वर्णित शर्तों के आलोक में किसी भी समिति द्वारा लिये गये निर्णयानुसार Pratibha Public School, Mirchaibari, Katihar-854105 को री० बी० एस० ई०, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है।

विश्वासभाजन

₹०/-

(लक्ष्मण झा)

विशेष निदेशक, मा० शिक्षा।

ज्ञापांक पटना, दिनांक 2017

प्रतिलिपि : जिला शिक्षा पदाधिकारी, भगलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

₹०/-

विशेष निदेशक, मा० शिक्षा।

ज्ञापांक ३। पटना, दिनांक ०२/०५/२०१७

प्रतिलिपि : प्राचार्य, Pratibha Public School, Mirchaibari, Katihar-854105 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


विशेष निदेशक, मा० शिक्षा।